मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–20.05.2025 को आहूत खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–20.05.2025 को आहूत समीक्षात्मक बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में दिये गये निदेश निम्नवत् है :–

1. वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम माह में राजस्व समाहरण की वसूली असंतोषजनक है। इसकी समीक्षा कर सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया तथा यह भी निदेशित किया गया कि आगामी 02 माह के अन्दर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।

2. सभी जिला के बालूघाटों का समीक्षा कर कतिपय जिलों में बालूघाटों के अनीलामित रहने के कारणों का विश्लेषण कर घाटों के नीलामी हेतु कार्रवाई की जाय।

3. जिलान्तर्गत अनीलामित बालूघाटों के बंदोबस्ती परियोजना के नियमानुसार तीन बार ई–नीलामी हेतु प्रयास के बाद भी नीलामी नहीं होने की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो सुरक्षित जमा राशि का पुनर्निधारण कर नीलामी की कार्रवाई की जाए।

4. विभिन्न कार्य विभागों (भारतीय रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इत्यादि सहित) एवं पंचायतों को अनीलामित बालू घाटों की सूची प्रेषित करते हुए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–78 के तहत बालू खनन के लिये पट्टा प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाय, जिससे कि कार्य विभागों के एजेंसियों को बिना किसी व्यवधान के सुव्यवस्थित ढंग से बालू उपलब्ध हो सके। इसके लिये अखबार में विज्ञापन भी प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया।

5. विभिन्न जिलान्तर्गत कतिपय बंदोबस्तधारियों द्वारा खनन पट्टा को प्रत्यार्पित करने संबंधी मामले की विस्तृत जाँच संबंधित जिला समाहर्त्ता द्वारा करने का निदेश दिया गया तथा यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि प्रत्यर्पण की आड़ में अवैध खनन न हो। समाहर्त्ताओं द्वारा प्रत्यर्पण के अन्य कारण भी विश्लेषित करते हुए जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

6. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 में बन्दोबस्ती/लीज द्वारा प्रत्यर्पण से संबंधित प्रावधानों पर विभाग द्वारा समीक्षा करते हुए इसमें Deterrence एवं Auction को संतुलित कर Rules में संशोधन करने का निदेश दिया गया।

7. राज्यान्तर्गत पूर्व में संचालित सभी पत्थर खनन पट्टों से संबंधित जिलों में जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR) बनाने की कार्रवाई तत्काल प्रारम्भ की जाए, ताकि जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR) के आधार पर पत्थर खदानों के संदर्भ में नीतिगत निर्णय सुविचारित ढंग से लिया जा सके। इसके लिये आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि का प्रावधान बजट में कर लिया जाय।

8. वर्तमान में विभिन्न जिलों में संचालित 08 पत्थर खनन पट्टों की क्षमता, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संभावित उत्पादन क्षमता का विश्लेषण करा लिया जाय, ताकि आवश्यकतानुसार संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति कैपिंग के लिये निर्णय/अनुरोध किया जा सके।

9. कार्य विभागों द्वारा निर्माण कार्यों में व्यवहृत किये जाने वाले पत्थर/बालू के अन्य राज्य (विशेषकर झारखण्ड) से आने की स्थिति में झारखण्ड राज्य एवं रेलवे से समन्वय स्थापित कर उन्हें निर्गत ई–चालान/ट्रांसपोर्ट डाटा का User Access प्राप्त करने का प्रयास किया जाय, ताकि नियमित रूप से राज्य में खनिजों के उपयोग के आँकड़ों के आधार पर समुचित कार्रवाई की जा सके।

10. बिहार राज्य के कार्य विभाग एवं उनके निगम, इत्यादि को झारखण्ड राज्य में पत्थर खनन पट्टा प्राप्त हो सके, इसके लिये बिहार स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन Framework/Capacity building एवं Support System की जानकारी प्राप्त करे। अन्य User Agencies जैसे NTPC इसी पैटर्न पर कोल ब्लॉकों की बन्दोबस्ती प्राप्त करती है, अतएव आवश्यकतानुसार उसका अध्ययन करते हुए Framework बनाया जा सकता है।

11. वृहद खनिज पट्टों के बन्दोबस्तधारियों के साथ नियमित बैठक की जाय एवं नियमानुसार प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाय। साथ ही खनन प्रारंभ होने तक के विभिन्न चरणों (Stages) का Programme Evaluation and Review Technique (PERT) चार्ट बनाकर ससमय कार्यों का निष्पादन हो, यह सुनिश्चित किया जाय।

12. भारत सरकार द्वारा नीलाम किये जाने वाले वृहद खनिज के 06 खनिज ब्लॉकों के लिये Auction ससमय अगले Tranche में हो जाय, इसके लिये भारत सरकार से पत्राचार किया जाय।

13. DMF पोर्टल अद्यतन रखा जाय तथा DMF के तहत किये जाने वाले कार्य गुणवत्तापूर्ण हों तथा वास्तव में लाभदायक हो, यह सुनिश्चित किया जाय।

14. नीलाम–पत्र वाद में वसूली की स्थिति नगण्य है, जिसपर चिन्ता व्यक्त की गयी। नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा करने के लिये व्यवस्था करें।

15. कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर खनन से संबंधित Framework, Monitoring Mechanism एवं System का अध्ययन किया जाए तथा उनमें से Best Practices विभाग में Replicate किया जाए। इसी प्रकार Minor Minerals के लिये अन्य राज्यों की Best Practices का भी अध्ययन किया जाय।

16. विभाग में Monitoring Cell के अधीन एक सशक्त PMU गठित किया जाय, जिससे कि खनन तथा अन्वेषण दोनों बिन्दुओं पर विभाग समुचित रूप से पर्यवेक्षण कर सके। PMU संबंधी व्यवस्थाएं भारत सरकार के स्तर पर भी क्रियान्वित हैं, जिसका अध्ययन शीघ्र कर लिया जाय।

17. विभाग में अन्वेषण कोषांग को सुदृढ़ किया जाय तथा इस हेतु पद सृजित किया जाय एवं भारत सरकार के Geological service/Scientist इत्यादि पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी प्रतिनियुक्ति पर भी लेने का प्रावधान किया जाय। अन्वेषण हेतु CMPDIL, MECL, GSI के साथ नियमित बैठक किया जाय, जिससे बिहार की अन्वेषण क्षमता का पूर्णतः उपयोग किया जा सके। आवश्यकतानुसार NMET Fund से भी अनुदान प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।

ह0/–
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांकः– 2854 /एम0, पटना, दिनांकः– 23/05/25

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/5/25
निदेशक, खान

ज्ञापांकः– 2854 /एम0, पटना, दिनांकः– 23/05/25

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/5/25
निदेशक, खान

ज्ञापांकः– 2854 /एम0, पटना, दिनांकः– 23/05/25

प्रतिलिपिः– सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ह0/–

23/5/25
निदेशक, खान

ज्ञापांकः– 2854 /एम0, पटना, दिनांकः– 23/05/25

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/5/25
निदेशक, खान

ज्ञापांकः– 2854 /एम0, पटना, दिनांकः– 23/05/25

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/5/25
निदेशक, खान